<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

- 1. कन्हैया पिता श्यामलाल, उम्र 20 साल,
- 2. सूरज पिता लखनलाल, उम्र 21 साल,
- 3. तीर कमान पिता भंगी, उम्र 21 साल,
- 4. राकेश पिता भंगी, उम्र 20 साल,
- 5. रामचरण पिता हरिराम, उम्र 21 साल, सभी निवासी सीतापुर, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट म.प्र.

—<u>निर्णय</u> (<u>आज दिनांक 03.11.2014 को घोषित</u>) निष्कर्ष

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिध्दि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्तगण की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उन्हें धारा 13 जुआ एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को परीविक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को प्रमाणित अपराध के लिए धारा 13 सार्व धूत अधिनियम के आरोप में दोषसिध्दि कर 100—100/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्तगण को 2—2 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा रूपये 650 / - (छः सौ पचास रूपये) राजसात किये जावे ATTENDED TO THE PROPERTY OF TH तथा जप्तशुदा तास के पत्ते विधिवत् नष्ट किये जावे।

ALINATA PAROLO BUILDING STREETS STREET

(सिराज अली) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला–बालाघाट